

-: आदेश -:

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उपरोक्त दुरस्ती हेतु सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती दस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती हेतु सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थिगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतु सहमति में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					उत्तर इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
डा.कोटा	37	गोमा पुत्र श्रीधरदास श्रीधरदास	548 खसरा 10	39 13-46	गोमा पुत्र श्रीधरदास श्रीधरदास	548 खसरा 10	39 13-46

शिविर, प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :- 666/29-10-21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर, प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)

PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का डा.कोटा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर